पत्रांक 1प्रा0आ0–06 / 2016 ..... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–

विषय: **भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी दक्षिण–पश्चिमी मॉनसून वर्षा 2016 के दीर्घावधि पूर्वानुमान अपडेट के आलोक में आवश्यक तैयारियों के संबंध में एडवाइजरी।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 2 जून, 2016 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा दक्षिण–पश्चिम मॉनसून, वर्ष 2016 का दीर्घावधि पूर्वानुमान अपडेट जारी किया गया है। यह अपडेट IMD के वेबसाइट पर उपलब्ध है। सुलभ संकेत हेतु उसकी हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियाँ संलग्न है। यह अपडेट मूलतः दक्षिणी–पश्चिमी मॉनसून वर्षा 2016 के दूसरे चरण का पूर्वानुमान है।

2. दूसरे चरण के पूर्वानुमान के गहरे विश्लेषण से यह तथ्य उभरता है कि समूचे देश के लिए जून–सितम्बर, 2016 के बीच सामान्य से अधिक वर्षा (दीर्घावधि औसत के 104 से 110 प्रतिशत से अधिक) होने की संभावना है। परंतु जून–सितम्बर, 2016 में पूर्वोत्तर भारत में वर्षा का प्रतिशत दीर्घावधि औसत (LPA) के 94% होने की संभावना व्यक्त की गयी है जिसमें मॉडल त्रुटि ±8% हो सकता है। ज्ञातव्य हो कि बिहार IMD द्वारा पूर्वोत्तर भारत में रखा गया है।

3. अतएव यह आवश्यक हो गया है कि हम जून–सितम्बर माह में बिहार के लिए किए गए पूर्वानुमान को दृष्टिपथ रखते हुए आपदा प्रबंधन संबंधी अपनी तैयारियाँ कर लें। बिहार के लिए दो स्थितियाँ उभरती हैं : या तो वर्षा 94%+8% अथवा 94%-8% के आसपास होगी। चूँकि बिहार राज्य से गुजरने वाली नदियों का उद्गम स्थल राज्य के बाहर है एवं वहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है, अतएव प्रथम स्थिति का अर्थ होगा : भीषण बाढ़ एवं शहरों में जल जमाव। दूसरी स्थिति का अर्थ होगा : अल्प वर्षापात एवं उससे जनित सुखाड़ जैसी स्थिति एवं कतिपय क्षेत्रों में बाढ़। अतएव दोनों ही स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तैयारियों संबंधी निम्न एडवाइजरी जारी की जा रही है:–

उपाध्यक्ष कोषांग
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
बिहार, पटना
गै०स०प्र० संख्या: 342 दिनांक 29/06/16

सचिव कोषांग
क०सं० 322
दिनांक 29/6/16

A. **प्रथम स्थिति हेतु की जाने वाली तैयारियाँ** :

ज्ञातव्य है कि बिहार राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण जिले हैं। यदि मॉनसून अवधि जून–सितम्बर, 2016 में राज्य में 94% + 8% वर्षापात हुआ तो इन जिलों में भीषण बाढ़ का प्रकोप हो सकता है। साथ ही सोन, पुनपुन, दरधा, फल्गु जैसी नदियों में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा विभिन्न शहरों, खासकर पटना, में भीषण जल–जमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बाढ़ से निपटने के लिए पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 1354/आ0प्र0 दिनांक 30.03.2016 द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु मार्गदर्शन दिया जा चुका है, जिसपर अब तक संबंधित जिलों एवं विभाग द्वारा काफी हद तक कार्रवाई हो चुकी होगी। साथ ही बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया पूर्व से ही परिचारित है, जिसमें बाढ़ से निपटने हेतु सरकारी आदेशों, परिपत्रों, अनुदेशों आदि का संकलन भी उपलब्ध है। इसके अलावे विभागीय पत्रांक 1973 दिनांक 26.05.2015 द्वारा वर्ष 2015–2020 तक के लिए अद्यतन संशोधित मानदर परिचारित किया गया है। सभी अद्यतन परिपत्रों एवं अद्यतन मानदर को विभागीय वेबसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर अपलोड करते हुए Circular के अन्तर्गत रखा गया है। मानक संचालन प्रक्रिया भी विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की गई है। बाढ़ आने की दशा में मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार बाढ़ आपदा से निपटने हेतु आवश्यक कदम उठाने हैं। बाढ़ पूर्व तैयारियों हेतु विभागीय पत्रांक 01(सा0नु0)/आ0प्र0 दिनांक 11.04.2016 एवं पत्रांक 40 (सा0नु0)/आ0प्र0 दिनांक 16.05.2016 द्वारा 28 बाढ़ प्रवण जिलों को आबंटन भी भेजा गया है एवं SDRF की टीमें 6 जिलों में Pre-Positioned कर दी गयी है। NDRF की टीमों को भी यथा समय पूर्व की भांति Pre-Positioned किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई के प्रथम सप्ताह में बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाने की संभावना है। अतएव ससमय बाढ़ पूर्व तैयारियाँ पूरी कर ली जाँय।

B. **द्वितीय स्थिति हेतु की जाने वाली तैयारियाँ** :

यदि मॉनसून अवधि जून–सितम्बर, 2016 में वर्षापात 94% - 8% हुआ तो बिहार राज्य के कुछ जिलों में सूखा की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की गई है। सूखा की स्थिति उत्पन्न होने पर मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सूखा से निपटने हेतु आवश्यक कदम उठाने होंगे। इस प्रकार हमें सूखा का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा।

अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त दोनों ही स्थितियों अर्थात संभावित बाढ़/सुखाड़ से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार पूर्व

तैयारियाँ ससमय कर ली जाँय। ताकि जन सामान्य को इन आपदाओं के आने पर राहत पहुंचाने में हमलोग सफल हो सकें।

अनुलग्नकः **भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त दक्षिण–पश्चिमी मॉनसून वर्षा 2016 का द्वितीय चरण का दीर्घावधि पूर्वानुमान (अंग्रेजी/हिन्दी दोनों भाषाओं में)।**

विश्वासभाजन
ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि– अनुलग्नक की प्रति सहित सचिव/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/कृषि विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/गृह विभाग/ऊर्जा विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/शिक्षा विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/ भवन निर्माण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ परिवहन विभाग/ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग/ पंचायती राज विभाग एवं समाज कल्याण विभाग / निदेशक सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त एडवाइजरी के आलोक में बाढ़/सुखाड़/पेयजल आपदा से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया एवं विभागीय मानक संचालन प्रक्रियाओं (यदि किसी विभाग ने अपने स्तर पर तैयार किया हो) के अनुसार आवश्यक तैयारियाँ ससमय पूरी कर ली जाँय।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि– सभी बाढ़ प्रवण जिलों के प्रभारी सचिव/ प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि– महानिदेशक–सह–नागरिक सुरक्षा आयुक्त, नागरिक सुरक्षा निदेशालय/ पुलिस महानिदेशक/कृषि उत्पादन आयुक्त/ विकास आयुक्त/मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ..... 2375 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 16/6/16

प्रतिलिपि– उपाध्यक्ष/सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/6

प्रधान सचिव